संख्याः– 626 /रा0प0–013

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त,
गढवाल/कुमायूँ ।
2– समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड ।

दिनांकः 7 फरवरी 2013।

विषय– आम जनता की शिकायतों को आन–लाईन दर्ज करने एवं उनके निस्तारण हेतु **"समाधान योजना"** लागू किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन,सुराज,भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा अनुभाग,देहरादून के पत्र संख्या– 48/43–1/2013–02(06)2012 दिनांक 21 जनवरी 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जो अन्य के साथ–साथ आपको तथा विभागाध्यक्ष/आयुक्तों को भी सम्बोधित है।

जैसा कि आप विदित ही हैं कि राज्य सरकार द्वारा जनता की शिकायतों/समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर पूर्व ही शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ एवं मण्डल स्तर पर भी शिकायत पंजीकरण एवं अनुवर्ती प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसी क्रम में मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये दिशा निर्देश/मार्ग निर्देशन के अनुसार जनता की शिकायतों/परिवादों/समस्याओं के निदान हेतु उन्हें आन लाईन दर्ज करने एवं निर्धारित अवधि में उनका निस्तारण कर सूचना आनलाईन प्रदान किये जाने की व्यवस्था हेतु **"समाधान योजना"** दिनांक 26.01.2013 से लागू कर दी गई है। दर्ज शिकायतों को सामान्य रूप से वेवसाईड samadhan .uk.gov.in पर दृष्य होगी।

जिलाधिकारी के स्तर पर दर्ज शिकायतों को 30 दिन में निस्तारित करना होगा यदि 30 कार्यदिवस में शिकायत निस्तारित नहीं होती है तो वह स्वतः ही मण्डलायुक्त के स्तर पर अंतरित हो जायेगी। मण्डलायुक्त द्वारा इसे 15 दिन में निस्तारित करवाया जायेगा। यदि मण्डलायुक्त द्वारा 15 दिन की निर्धारित सीमा के भीतर निस्तारित नहीं कराया जाता है तो शिकायत स्वतः ही मुख्य सचिव के स्तर पर अंतरित हो जायेगी। विभागाध्यक्ष/आयुक्त के स्तर पर दर्ज शिकायत को भी 30 कार्यदिवस में निस्तारित करना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित नहीं होता है तो शिकायत स्वतः ही सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को अंतरित हो जायेगी,जिन्हें 15 दिनों में इसे निस्तारित करना होगा।

इसके अलावा सचिव,उत्तराखण्ड शासन,सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग,देहरादून के अ.शा.पत्र संख्या–72/43(1)/13–02(06)11दिनांक 29 जनवरी 2013 के द्वारा केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण योजना **"समाधान योजना"** के साफ्टवेयर को संचालित करने हेतु लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड से तत्काल प्राप्त करने तथा प्रत्येक दिन शिकायतों का एकाउण्ट खोलने व यदि विभाग के

अन्तर्गत अनुषांगिक कार्यालयों जहॉ इन्टरनेंट कनेक्टिविटी है,को इस योजना से जोड़ना चाहते हैं तो इससे सम्बन्धित प्रस्ताव सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग अथवा एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा किसी तकनीकी समस्या हेतु दिनांक 15.2.2012 तक अपरान्ह 3.00बजे से 4.00 बजे तक राज्य सूचना अधिकारी,एन0आई0सी0 श्री डी0आर0शुक्ला अथवा तकनीकी निदेशक,एन0आई0सी0 श्री संजय गुप्ता से सम्पर्क करने हेतु भी निदेशित किया गया है,जिनका दूरभाष पर सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर– 0135–2713739 संसूचित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के अनुसार आम जनता की शिकायतों को आन–लाईन दर्ज करने एवं उनके निस्तारण हेतु लागू**"समाधान योजना"** के अनुसार मण्डल/जनपद स्तर पर त्वरित कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष
राजस्व परिषद।

प्रतिलिपि–स्टाफ आफीसर,राजस्व परिषद उत्तराखण्ड को शासनादेशों की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि परिषद स्तर पर भी आम जनता से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के पंजीकरण/निस्तारण हेतु शासनादेशानुसार आवश्यक व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष
राजस्व परिषद।